305

संख्या–64 /XXXVI(1)/2016-326/2001

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एंव विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण,उत्तराखण्ड
316, फैज–II, बसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 09 फरवरी, 2016

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण हेतु सृजित 03 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–381/उ0लो0से0अधि0/प्रशा0–1\ दिनांक 04–12–2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 12–एक(4)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004 दिनांक 06–08–2004 द्वारा सृजित वाहन चालक का 01 पद, शासनादेश सं0–65–एक (4)/छत्तीस (1)/05–326/2001 दिनांक 28–11–2005 द्वारा सृजित वरिष्ठ लिपिक के 01 तथा शासनादेश सं0–223/XXXVI (1)/2013-326/2001 दिनांक 26–07–2013 के द्वारा कार्यालय अधीक्षक का एक सृजित 01 अतिरिक्त पद कुल 03 अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, दिनांक 01–03–2016 से दिनांक 28–02–2017 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–04 कें अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–लोक सेवा अधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश उत्तर–प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–2574/दस–98–24(8) 92 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर 1998 सपठित सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0–ए–2–877/ दस–92–24 (8)/92 दिनांक 07.11.1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–64 (1)/ XXXVI(1) / 2016-326 / 2001 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एंव हकदारी),उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन,माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–5/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

(कहकशा खान)
अपर सचिव

D:\Bhagwan folder\other file\Vividh lette2014.doc